


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ /2018/ 34 दिनांक : 11.1.18

आदेश

श्री मोहन सिंह, लैब टेक्नीशियन, अधीनस्थ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भरतपुर, जिनकी जन्म तिथि 15.07.1968 है, का राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 21.10.2017 को निधन हो चुका है, का नाम दिनांक 21.10.2017 से राज्य सेवा से विलोवित किया जाता है के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ /2018/ 34

दिनांक : 11.1.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-भरतपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. श्रीमति रामदेवी पत्नी स्व. मोहन सिंह, लैब टेक्नीशियन निवासी नवाब गली जनाना हॉस्पिटल के पास भरतपुर।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर।